राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1662/2016/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शिवम् ट्रेडिंग कम्पनी,
रिको इण्ड. एरिया, अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 24/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 59/आरवीएटी/2015–16/अपी.प्राधि./अलवर में पारित आदेश दिनांक 01.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2015 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 3,26,020/– अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे **"जॉच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 23.05.2015 को वाहन संख्या आरजे–14–जीए–0993 को रोक कर चैक किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल "पामोलीन रिफाईण्ड ऑयल" से संबंधित दस्तावेज यथा जोधपुर से खैरथल के लिए जारी मैसर्स सालासर ऑयल कैरियर, जयपुर की जी.आर संख्या 073 दिनांक 21.05.2015 एवं मैसर्स सर्वोदय रिफाईनरी प्रा.लि. द्वारा मैसर्स शिवम् ट्रेडिंग कम्पनी, खैरथल को जारी वैट इन्वॉयस संख्या 240 दिनांक 21.05.2015 की अस्पष्ट कम्प्यूटर प्रति प्रस्तुत किये। प्रथम दृष्टया दस्तावेज संदेहास्पद होने से जॉच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल को निरूद्ध किया गया। निरूद्ध आदेश की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर परिवहनित माल के संबंध में बताया कि उक्त परिवहनित माल मैसर्स सर्वोदय रिफाईनरी प्रा. लि., जोधपुर से खरीदा गया है, जिसका परिवहन जयपुर से खैरथल के लिए किया जा रहा है, एवं मैसर्स सर्वोदय रिफाईनरी प्रा.लि., जोधपुर द्वारा उक्त माल मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज, जयपुर से खरीदा गया है, तथा मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज के पास माल जरिये स्टॉक ट्रांसफर मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज, गांधीधाम से आया है। प्रथम दृष्टया दस्तावेज संदेहास्पद होने से जॉच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल को निरूद्ध किया जाकर

लगातार.....2

कूटरचित दस्तावेजों से माल का परिवहन किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76(6)(b) का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत अभियोग बनाकर पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन कर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस का लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिससे असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति राशि रूपये 3,26,020/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल "पामोलीन रिफाईण्ड ऑयल" से संबंधित दस्तावेज यथा जोधपुर से खैरथल के लिए जारी मैसर्स सालासर ऑयल कैरियर, जयपुर की जी.आर संख्या 073 दिनांक 21.05.2015 एवं मैसर्स सर्वोदय रिफाईनरी प्रा.लि. द्वारा मैसर्स शिवम् ट्रेडिंग कम्पनी, खैरथल को जारी वैट इन्वॉयस संख्या 240 दिनांक 21.05.2015 की अस्पष्ट कम्प्यूटर प्रति प्रस्तुत किये, इसके अलावा उनके पास कोई भी दस्तावेज होने से मना कर दिया। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से माल का परिवहन किया जा रहा था। आगे उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल मैसर्स रूची सोया इण्डस्ट्रीज, गॉधीधाम (गुजरात) से जरिये स्टॉक ट्रॉसफर मैसर्स रूची सोया इण्डस्ट्रीज, जयपुर को भेजा गया। मैसर्स रूची सोया इण्डस्ट्रीज, जयपुर द्वारा परिवहनित माल का बेचान इनवॉइस संख्या 9504291008 दिनांक 21.05.2015 द्वारा मैसर्स रिफाईनरी प्रा.लि., जोधपुर को किया गया, एवं परिवहनित माल का जयपुर अनलोड होने से पूर्व ही मैसर्स रिफाईनरी प्रा.लि., जोधपुर द्वारा उसका बेचान इनवॉईस संख्या 240 दिनांक 21.05.2015 द्वारा मैसर्स शिवम् ट्रेडिंग कम्पनी, खैरथल को कर दिया गया। परन्तु गॉधीधाम (गुजरात) से जयपुर एवं जयपुर से जोधपुर के बिल–बिल्टी की फोटो प्रति एवं मैसर्स सर्वोदय रिफाईनरी प्रा.लि., जोधपुर का मूल इनवॉइस परिवहन के दौरान संलग्न होना चाहिए था, जो कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(b) का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण कर दिया। सर्वप्रथम प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2)(b) उद्धरित किया जाना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार है:–

लगातार.....3

76(2)(b) Carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or dispach memos.

6. उक्त प्रावधान के अनुसार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित बिल–बिल्टी, डिस्पैच मीमों एवं निर्धारित घोषणा पत्र परिवहन के समय साथ रखा जावे एवं मांगे जाने उन्हें सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। परिवहनित माल के साथ परिवहन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे, जिन्हें वाहन चालक/माल प्रभारी ने जॉच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे, परन्तु जॉच अधिकारी द्वारा उन्हें मिथ्या/बोगस साबित किये बिना शास्ति आरोपण की कार्यवाही कर दी गई जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

7. मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लि., जयपुर को वैट इनवॉयस संख्या 240 दिनांक 21.05.2015 की प्रति जरिये ई–मेल भिजवाई जाकर उक्त माल जोधपुर के स्थान पर खैरथल स्थित प्रत्यर्थी को भिजवाने को कहा गया। अतः जॉच के समय वाहन चालक/माल प्रभारी के पास उक्त परिवहनित माल से संबंधित वैट इनवॉयस की मूल प्रति के स्थान पर ई–मेल प्रति मौजूद थी, जिसे वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा जॉच अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई। इस प्रकार उक्त तथ्यों की गहनता से जॉच किये बिना ही सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य नही है।

8. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 01.01.2016 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य